जी. सी. मितल और एस. एस. ग्रेवाल, जे.जे. के समक्ष

पियारा सिंह और अन्य,-याचिकाकर्ता।

बनाम

पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला और अन्य, -प्रतिवादी।

1990 का पत्र पेटेंट अपील संख्या 1094

19 फरवरी 1991.

पंजाबी विश्वविद्यालय कैलेंडर, खंड 1-धारा 9A (8) - कुलपति की आपातकालीन शक्तियाँ - इसका प्रयोग - परीक्षा केंद्र का रद्दीकरण - पुन: परीक्षा का आदेश - कुलपति की कार्रवाई का सिंडिकेट द्वारा अनुमोदन - ऐसी कार्रवाई की वैधता - प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत - इसका अनुपालन।

निर्धारित किया गया है कि फ्लाइंग स्क्वाड की रिपोर्टों के आधार पर इस संबंध में सूचना प्राप्त करने के बाद, जिसमें बताया गया था कि उक्त केंद्रों में सामूहिक नकल हो रही थी और वहाँ के पर्यवेक्षण स्टाफ ने परीक्षार्थियों द्वारा सामूहिक नकल रोकने में बुरी तरह विफल रहे थे, कुलपति ने अपनी आपातकालीन शक्तियों का समय पर इस्तेमाल किया। पंजाबी विश्वविद्यालय कैलेंडर, खंड । की धारा 9-A(8) के अंतर्गत उन्होंने केंद्रों का रद्दीकरण का आदेश दिया और परीक्षाओं को ताज़ा तौर पर आयोजित करने का निर्णय लिया। कुलपति द्वारा इस मामले में की गई कार्रवाई को सिंडिकेट की अगली बैठक में पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया गया, जिसमें कुलपति द्वारा पारित आपत्तिजनक आदेश को सिंडिकेट द्वारा उचित रूप से मंजूर किया गया। इस प्रकार, कुलपति द्वारा तत्काल की गई कार्रवाई विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने और परीक्षा के उचित आचरण को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से उचित थी, ताकि हर परीक्षार्थी को किसी बाहरी स्रोत से किसी भी सहायता के बिना मूल्यांकित किया जा सके। कुलपति ने इस प्रकार अपनी आपातकालीन शक्तियों का उचित अभ्यास किया था। यह तथ्य कि केवल सिंडिकेट ही अध्यादेश 37 के तहत मामले में कार्रवाई करने में सक्षम था, जब जांच के बाद संतुष्ट हो जाता है कि उक्त परीक्षा केंद्रों पर विश्वविद्यालय परीक्षा की अखंडता का उल्लंघन हुआ है, जो परीक्षार्थियों द्वारा पूर्ण सहायता प्रदान करने के कारण हुआ, किसी भी तरह से कुलपति की आपातकालीन शक्तियों पर प्रभाव नहीं डालेगा या उन्हें दूर नहीं करेगा।

पैरा 6

आगे यह निर्धारित किया गया कि चूँकि किसी भी व्यक्तिगत परीक्षार्थी को अयोग्य नहीं ठहराया गया है, इसलिए कुलपति के लिए ताजा परीक्षा का आदेश देने या परीक्षा केंद्रों को रद्द करने से पहले सभी परीक्षार्थियों को उनके निष्कर्ष का विरोध करने का अवसर देना आवश्यक नहीं था, जो कि स्पेशल फ्लाइंग स्क्वाड की रिपोर्टों पर आधारित था जिसमें केंद्रों पर सामूहिक नकल की बात कही गई थी, जिसका उल्लेख निर्णय के पूर्व भाग में किया गया था। इस मामले में, परीक्षार्थियों

में से किसी भी व्यक्ति, अपीलकर्ताओं सहित, को विश्वविद्यालय द्वारा सामूहिक नकल की फ्लाइंग स्क्वाड की रिपोर्टों के आधार पर न तो अयोग्य ठहराया गया है और न ही उनके परिणाम रद्द किए गए हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है या कुलपति की कार्रवाई पुन: परीक्षा का आदेश देने या दो परीक्षा केंद्रों को समाप्त करने में अवैध या शून्य थी। जसबीर सिंह के मामले और राजेश कुमार के मामले में अधिकारियों द्वारा व्यक्त किए गए विचार कि सामूहिक नकल के आधार पर पुन: परीक्षा का आदेश देने से पहले संबंधित परीक्षार्थियों को व्यक्तिगत सुनवाई देना आवश्यक था, बिना किसी ऐसे व्यक्तिगत परीक्षार्थी के खिलाफ कोई कार्रवाई किए जैसे अयोग्यता, उन दो मामलों को निर्णय लेने वाले विद्वान न्यायाधीशों का सम्मान करते हुए, अनुसरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ व्यक्त किया गया विचार उनकी महामहिमता के सुप्रीम कोर्ट में बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के मामले में व्यक्त किए गए विचार के विरुद्ध है, जिस प्राधिकरण को उक्त दो प्राधिकरणों में विचार में नहीं लिया गया था।

पैरा 13

(ए.एल.आर. 1989 पंजाब और हरियाणा 107 और 1987 के सीडब्ल्यूपी 8924 पर निर्णय लिया गया)

8 फरवरी, 1988

पालन नहीं किया गया)

पत्र प्रमाणपत्र की धारा X के अंतर्गत पत्र प्रमाणपत्र अपील, माननीय एकल न्यायाधीश श्री जस्टिस एम. एस. लिबरहान द्वारा 8 जून, 1990 को उपर्युक्त मामले में पारित निर्णय के खिलाफ।

जी. के. चतरथ, अधिवक्ता, एस. मैनी, अधिवक्ता ए. जी. मसीह, अधिवक्ता के साथ, अपीलकर्ताओं के लिए।

आर. एल. शर्मा, अधिवक्ता, प्रतिवादी के लिए।

निर्णय

एस.एस. ग्रेवाल, जे.

1. यह पत्र प्रमाणपत्र अपील संख्या 1094 का 1990 तथा तीन संबंधित पत्र प्रमाणपत्र अपील संख्याएं 1095 का 1990, 1132 का 1990 और 1218 का 1990, इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसमें, सिविल रिट याचिका संख्या 7994 का 1989, 9367 का 1989 और 7659 का 1989 जो नियंत्रक, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला द्वारा 15 मई, 1989 को जारी आदेश को निरस्त करने की मांग कर रही थीं, जिसमें बी.ए. भाग I, भाग II और एम.ए. भाग I और II के कुछ पेपरों में परीक्षा केंद्रों को समाप्त करना, प्रेम आश्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अमृतसर और संत सिंह सुखा सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अमृतसर में परीक्षार्थियों

द्वारा सामूहिक नकल के बारे में स्पेशल फ्लाइंग स्क्वाड्स की रिपोर्टों के आधार पर, 25 अप्रैल, 1989 से 15 मई, 1989 तक आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करना और आगे के निर्देशों की मांग कर रही थीं कि विश्वविद्यालय को पुन: परीक्षाओं का आयोजन करने से रोका जाए और प्रतिवादियों को उन पेपरों का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया जाए जिनमें याचिकाकर्ता 15 मई, 1989 तक उपस्थित हुए थे, खारिज कर दिया गया। उपर्युक्त सभी पत्र प्रमाणपत्र अपीलों का एक ही निर्णय द्वारा निपटान किया जाएगा क्योंकि इन सभी अपीलों में सामान्य कानूनी और तथ्यात्मक प्रश्न शामिल हैं।

2. इन अपीलों के निपटान के लिए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि स्पेशल फ्लाइंग स्क्वाड की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, जिसमें बताया गया था कि परीक्षार्थियों ने प्रेम आश्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अमृतसर और संत सिंह सुखा सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अमृतसर में सामूहिक नकल की थी और विश्वविद्यालय परीक्षा की अखंडता का उल्लंघन होने के संतोषजनक निष्कर्ष पर पहुंचकर, कुलपति ने–12 मई, 1989 को दिए गए आदेश के माध्यम से उक्त दो परीक्षा केंद्रों को समाप्त करने और अप्रैल-मई, 1989 में आयोजित बी.ए. भाग I, भाग II एम.ए. भाग I और भाग II के कुछ पेपरों में पुन: परीक्षा का आदेश दिया। कुलपति की कार्रवाई को सिंडिकेट की अगली बैठक में 10 जून, 1989 को पुष्टि की गई और मंजूरी दी गई। याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता, जो परीक्षार्थी हैं, के अनुसार विश्वविद्यालय अर्थात सिंडिकेट ही अध्यादेश 37 के तहत उचित जांच के बाद संतुष्ट होकर कार्रवाई करने में सक्षम था कि उक्त परीक्षा केंद्रों पर विश्वविद्यालय परीक्षा की अखंडता का उल्लंघन हुआ है, जो परीक्षार्थियों को थोक में अनुचित सहायता प्रदान करने के कारण हुआ; यह कि कुलपति द्वारा पारित आपत्तिजनक आदेश जिसमें परीक्षा केंद्रों को समाप्त करने और पुन: परीक्षा का आदेश दिया गया था, प्रारंभ से ही शून्य और अवैध थे और कुलपति का निर्णय सिंडिकेट के संतोष के निर्णय का विकल्प नहीं था और यह कि आपत्तिजनक आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए और बिना किसी जांच के पारित किए गए थे और नुल और वॉयड हैं। आदेशों की वैधता को प्रतिगामी प्रभाव के साथ पारित किया जाना भी चुनौती दी गई थी।

3. प्रतिवादियों ने अपने लिखित वक्तव्य में तर्क दिया कि पंजाबी विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड I की धारा 9-ए (8) के तहत, कुलपति को तब कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार था जब उनकी राय में कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है जिसके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक होता है और कुलपति समझते हैं कि ऐसी कार्रवाई आवश्यक है। शक्ति का प्रयोग इस शर्त के अधीन है कि कुलपति को अगली सिंडिकेट की बैठक में कार्रवाई की पुष्टि के लिए रिपोर्ट करनी होती है जो सामान्य रूप से मामले से निपटती है। वर्तमान मामले में कुलपति की कार्रवाई को 10 जून, 1989 की अपनी बैठक में सिंडिकेट द्वारा मंजूरी दी गई थी। यह और भी तर्क दिया गया था कि कुलपति स्पेशल फ्लाइंग स्क्वाड्स की रिपोर्ट पर पूरी तरह संतुष्ट थे कि केंद्र में सामूहिक नकल हो रही थी और केंद्र के पर्यवेक्षण स्टाफ ने सामूहिक नकल रोकने में बुरी तरह विफल रहे थे। इस प्रकार, सामूहिक नकल को रोकने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए कुलपति द्वारा उचित रूप से अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए रद्दीकरण का आदेश जारी किया गया

था और एक आपात स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसे सिंडिकेट ने पंजाबी विश्वविद्यालय कैलेंडर 19 खंड II के अध्यादेश 37 अध्याय 23 में परिकल्पित के रूप में पुष्टि की थी। मामले की विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में सुनवाई का अवसर इनकार किया गया था। यह और भी तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ताओं को दंडित नहीं किया गया है और उनकी पुन: परीक्षा विश्वविद्यालय के आदेशों के अनुसार नए परीक्षा केंद्र में आयोजित की जाएगी।

4. याचिकाकर्ता-अपीलकर्ताओं की ओर से मुख्य रूप से तर्क दिया गया था कि परीक्षा केंद्रों के रद्दीकरण के आपत्तिजनक आदेश को इस आधार पर रद्द किया जाना चाहिए कि केवल सिंडिकेट ही ऐसा आदेश पारित करने में सक्षम था और वह भी उचित जांच के बाद और कि कुलपति ऐसा आदेश पारित करने में सक्षम नहीं थे। न ही कुलपति के आदेश की बाद की मंजूरी किसी भी तरह से यह मानने के लिए पर्याप्त मानी जा सकती है कि आपत्तिजनक आदेश कानूनी और वैध है।

5. जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने मराठवाड़ा विश्वविद्यालय बनाम सेशराग बलवंत राव चव्हाण[1] मामले में निर्धारित किया है, हर विश्वविद्यालय में कुलपति विश्वविद्यालय का विवेकाधीन और संवैधानिक शासक होता है। वह विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी है। उसे शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक मामलों के समग्र प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन उद्देश्यों के लिए अधिनियम कुलपति को स्पष्ट और निहित शक्तियाँ प्रदान करता है। स्पष्ट शक्तियों में अन्य बातों के बीच, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी शामिल है कि अधिनियम, विधान, अध्यादेश और नियमावलियों के प्रावधानों का सभी संबंधित द्वारा पालन किया जाता है। धारा 11(3) के अनुसार कुलपति को विश्वविद्यालय के अधिकारियों और शिक्षण और अन्य कर्मचारियों के कार्य और आचरण को नियंत्रित करने का अधिकार है। (धारा 11(6)(ए))। उसे किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन शक्तियां भी प्राप्त हैं। धारा 11(4) वास्तव में महत्वपूर्ण है। यदि कुलपति मानते हैं कि किसी स्थिति के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं जैसा कि वह उचित समझते हैं, हालांकि सामान्य मामलों में वह उस कार्रवाई को करने में सक्षम नहीं होते हैं। हालांकि, उन्हें उस संबंधित प्राधिकरण या निकाय को रिपोर्ट करनी चाहिए जो सामान्य मामलों में उस मामले से निपटता है। बस इतना ही नहीं, प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में उनकी केंद्रीय स्थिति उनके साथ निहित शक्ति भी लाती है। यह मजिस्ट्रेट की शक्ति है जिसे स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक मामलों में घरेलू अनुशासन बनाए रखने के लिए उनके लिए यह शक्ति आवश्यक है। ट्यूटर और छात्र के संबंध में विविध प्रकार की स्थितियों में, उन्हें अनुशासनहीनता और दुराचरण को दृढ़ता और त्वरित रूप से दबाने के लिए कार्य करना पड़ता है। यदि वह ऐसी सभी स्थितियों से निपटने के लिए अपनी निहित और आपातकालीन शक्तियों का सहारा लेने में सक्षम हों, तो यह अवैध नहीं हो सकता।

---

[1] ए.आई.आर. 1989 एस.सी. 687.

6. इस मामले में परीक्षा आयोजन की व्यवस्था ने सामूहिक नकल की जांच करने में विफलता दिखाई है। फ्लाइंग स्क्वाड की रिपोर्टों के आधार पर इस संबंध में सूचना प्राप्त करने के बाद कि उक्त केंद्रों में सामूहिक नकल हो रही थी और वहाँ के पर्यवेक्षण स्टाफ ने परीक्षार्थियों द्वारा सामूहिक नकल रोकने में बुरी तरह असफल रहे, कुलपति ने समय पर कार्रवाई करते हुए अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किया, जो पंजाबी विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड । की धारा 9-ए(8) के तहत है, और केंद्रों को रद्द करने और परीक्षाओं को ताज़ा तौर पर आयोजित करने का आदेश दिया। कुलपति द्वारा इस मामले में की गई कार्रवाई को सिंडिकेट की अगली बैठक में पुष्टि के लिए रिपोर्ट किया गया, जिसमें कुलपति द्वारा पारित आपत्तिजनक आदेश को सिंडिकेट द्वारा उचित रूप से मंजूरी दी गई। इस प्रकार, कुलपति द्वारा तत्काल की गई कार्रवाई पूरी तरह से उचित थी ताकि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मानक और परीक्षा का उचित आचरण बनाए रखा जा सके, इस प्रकार सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक परीक्षार्थी किसी बाहरी स्रोत से किसी भी सहायता के बिना मूल्यांकित हो। कुलपति ने इस प्रकार अपनी आपातकालीन शक्तियों का उचित रूप से प्रयोग किया था। यह तथ्य कि केवल सिंडिकेट ही अध्यादेश 37 के तहत मामले में कार्रवाई करने में सक्षम था, जब उचित जांच के बाद संतुष्ट हो गया कि विश्वविद्यालय परीक्षा की अखंडता का उल्लंघन उक्त परीक्षा केंद्रों में हुआ है, जो परीक्षार्थियों द्वारा प्रदान की गई थोक में सहायता के कारण हुआ, किसी भी तरह से पंजाबी विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड । की धारा 9-ए (8) के तहत कुलपति की आपातकालीन शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगा, न ही वर्तमान मामले की परिस्थितियों में यह उचित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुलपति ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य किया था।
7. इस स्थिति का सामना करते हुए, अपीलकर्ताओं की ओर से यह और भी तर्क दिया गया था कि कुलपति का निर्णय पुन: परीक्षा का आदेश देना, जो प्रकृति में दंडात्मक है, बिना परीक्षार्थियों को सुनवाई का अवसर दिए या उनके मामले के समर्थन में सबूत प्रस्तुत करने के लिए दिया गया था। इस संबंध में कुलपति की कार्रवाई ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया है और उस आधार पर कुलपति द्वारा पारित आपत्तिजनक आदेश कानूनी रूप से बनाए नहीं रखे जा सकते हैं।
8. इस संबंध में उनकी महामहिमता के सर्वोच्च न्यायालय में बोर्ड ऑफ हाई स्कूल और इंटर-मीडिएट एजुकेशन यू.पी. इलाहाबाद बनाम घनश्याम दास गुप्ता और अन्य[2] पर निर्भरता थी, जिसमें देखा गया था कि अध्याय VI के तहत समिति की कई शक्तियाँ प्रशासनिक प्रकृति की हैं, लेकिन जब ऐसी प्रशासनिक संस्था को अर्ध-न्यायिक कर्तव्य सौंपे जाते हैं, तो यह इन कर्तव्यों को प्रदर्शित करने के लिए एक अर्ध-न्यायिक निकाय बन जाती है और वह अपनी प्रक्रिया तय कर सकती है जब तक कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाता है और परीक्षार्थी को अपने मामले को प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाता है।

[2] ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 1110.

9. उपर्युक्त उद्धृत प्राधिकरण में तीन उम्मीदवारों के परीक्षा परिणाम रद्द कर दिए गए थे और यह माना गया था कि उन्हें अपने आचरण की व्याख्या करने का अवसर मिलना चाहिए था। यह भी कहा गया था कि यदि जांच में बड़ी संख्या में व्यक्ति शामिल होते हैं तो समिति को ऐसी जांच के आचरण के लिए उचित नियम बनाने चाहिए, लेकिन अवसर का इनकार नहीं करना चाहिए। यह प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय के बाद के प्राधिकरण में बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड बनाम सुभाष चंद्र सिन्हा और अन्य[3] में विचार में लाया गया था और इस प्रकार देखा गया:-

> "निश्चित रूप से, यह इरादा नहीं था कि जहाँ पूरी परीक्षा ही दूषित हो गई हो, जैसे कि पेपरों का लीक होना या कुछ उत्तर पुस्तिकाओं का नष्ट होना या व्यापक पैमाने पर अनुचित साधनों का प्रयोग पाया जाना, तो ऐसी स्थिति में हर उस व्यक्ति को अवसर दिया जाएगा जो उस परीक्षा में उपस्थित हो ताकि वह अपनी बात रख सके। न्यायालय का इरादा यह था कि यदि किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा रही हो, तो उसे अपना बचाव करने का उचित अवसर मिलना चाहिए और यह बड़ी संख्या में व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के बावजूद अवसर देने की आवश्यकता को समाप्त नहीं करता था। न्यायालय तब इस बात पर विचार नहीं कर रहा था कि परीक्षा निकाय को अपनी ही परीक्षा को रद्द करने का अधिकार है या नहीं, जब वह संतुष्ट हो कि परीक्षा उचित रूप से आयोजित नहीं की गई थी या परीक्षा के आचरण में अधिकांश परीक्षार्थियों ने वैसा व्यवहार नहीं किया था जैसा उन्हें करना चाहिए था। ऐसे निर्णयों को पूर्ण-प्रकार की न्यायिक जांच पर निर्भर करने से विश्वविद्यालयों और स्कूल बोर्ड जैसी स्वायत्त संस्थाओं की कार्यप्रणाली बाधित हो सकती है। हालांकि हम नहीं चाहते कि प्राकृतिक न्याय और उचित खेल की आवश्यकताओं को कम किया जाए, जहाँ ऐसी आवश्यकता मानी जा सकती है, हम "नहीं चाहते कि यह न्यायालय यह समझा जाए कि हमेशा हर मामले में, हालांकि विभिन्न", प्रतिनिधित्व के अधिकार के साथ जांच की आवश्यकता होती है।"

उपर्युक्त प्राधिकरण में यह और भी देखा गया था कि इस मामले में प्राकृतिक न्याय के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं हुआ था। बोर्ड ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से और बाद में स्वयं सही निष्कर्ष पर पहुंचा था कि इस केंद्र में परीक्षाएं व्यापक पैमाने पर अनुचित साधनों का प्रयोग करके दूषित की गई थीं और बोर्ड को परीक्षा रद्द करने और नई परीक्षा आयोजित करने का पूरा अधिकार था। इस निष्कर्ष का विरोध करने के लिए परीक्षार्थियों को अवसर देने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मामले में साक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट और पारदर्शी थे।

10. बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (ऊपर उल्लिखित) में प्राधिकरण वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर पूरी तरह लागू होता है। चूंकि किसी भी व्यक्तिगत परीक्षार्थी को अयोग्य नहीं

---

[3] ए.आई.आर. 1970 एस.सी. 1269

ठहराया गया है, इसलिए कुलपति के लिए ताजा परीक्षा का आदेश देने या परीक्षा केंद्रों को रद्द करने से पहले सभी परीक्षार्थियों को उनके निष्कर्ष का विरोध करने का अवसर देने की आवश्यकता नहीं थी, जो कि स्पेशल फ्लाइंग स्क्वाड की रिपोर्टों पर आधारित था, जिसमें केंद्रों पर सामूहिक नकल की बात कही गई थी, जिसका उल्लेख पहले भाग में किया गया था। इस मामले में, परीक्षार्थियों में से किसी भी व्यक्ति, अपीलकर्ताओं सहित, को विश्वविद्यालय द्वारा फ्लाइंग स्क्वाड की रिपोर्टों के आधार पर सामूहिक नकल के संबंध में न तो अयोग्य ठहराया गया है और न ही उनके परिणाम रद्द किए गए हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, या, कि कुलपति की कार्रवाई पुन: परीक्षा का आदेश देने या दो परीक्षा केंद्रों को समाप्त करने में अवैध या शून्य थी।

11. हालांकि, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के डिवीजन बेंच प्राधिकरण जसबीर सिंह और अन्य बनाम पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ और एक अन्य[4] पर भरोसा जताया। उस विशेष मामले में, कुछ केंद्रों में सामूहिक नकल की रिपोर्ट पर, परीक्षा सुधार समिति ने उन केंद्रों के उम्मीदवारों की पुन: परीक्षा का आदेश दिया था। अन्य कार्रवाई करने के अलावा, समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि पुन: परीक्षा चंडीगढ़ में आयोजित की जानी चाहिए। रिपोर्ट के पैरा 4 में इस प्रकार देखा गया:-

> "पुन: परीक्षा का आदेश देने और अन्य संबंधित निर्णय, जो दंडात्मक और सुधारात्मक प्रकृति के होते हैं, उन्हें सिंडिकेट द्वारा लिया जाना चाहिए। हालांकि, इस उद्देश्य के लिए किसी अन्य निकाय द्वारा की गई सिफारिशें, चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण हों, सिंडिकेट की संतोषजनक निर्णय के लिए विकल्प नहीं हो सकती हैं, यह स्पष्ट है कि सिंडिकेट ने निर्णय नहीं किया है और उस निर्णय के बिना विश्वविद्यालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।"

12. उपर्युक्त उल्लिखित प्राधिकरण में मामले में की गई कार्रवाई न तो सिंडिकेट द्वारा विचारित की गई थी और न ही अनुमोदित की गई थी, और कुलपति ने केवल अपने विचार लिखित में व्यक्त किए थे कि वह परीक्षा सुधार समिति द्वारा सुझाए गए समाधान से सहमत थे, जबकि, वर्तमान मामले में, निर्णय कुलपति द्वारा उनकी आपातकालीन शक्तियों के तहत लिया गया है और उनका निर्णय बाद में सिंडिकेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। जसबीर सिंह के मामले (उपरोक्त) में डिवीजन बेंच के उपर्युक्त प्राधिकरण में इस न्यायालय के एकल बेंच के निर्णय राजेश कुमार बनाम राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड[5] पर निर्भरता रखी गई थी।

13. जसबीर सिंह के मामले और राजेश कुमार के मामले (उपरोक्त) में व्यक्त किए गए विचार कि सामूहिक नकल के आधार पर पुन: परीक्षा का आदेश देने से पहले संबंधित परीक्षार्थियों को व्यक्तिगत सुनवाई देना आवश्यक था, बिना किसी ऐसे व्यक्तिगत परीक्षार्थी के खिलाफ कोई कार्रवाई किए (जैसे अयोग्यता), उन दो मामलों को निर्णय लेने वाले विद्वान न्यायाधीशों का

---

[4] ए.आई.आर.1989 पंजाब और हरियाणा 107

[5] सी.डब्ल्यू.पी., संख्या, 8924 ऑफ 1987, 8 फरवरी 1988 को निर्णय लिया गया,

सम्मान करते हुए, अनुसरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ व्यक्त किया गया विचार उनकी महामहिमता के सुप्रीम कोर्ट में बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के मामले (उपरोक्त) में व्यक्त किए गए विचार के विरुद्ध है, जिस प्राधिकरण को उक्त दो प्राधिकरणों में विचार में नहीं लिया गया था। इसके अलावा, विश्वविद्यालयों या स्कूल बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सामूहिक नकल की समस्या बढ़ रही है और भविष्य में यदि इसे समय पर सक्षम प्राधिकरणों द्वारा रोका नहीं जाता है तो यह भयावह रूप धारण कर सकती है, जो देश में शैक्षिक मानकों को बनाए रखने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं।

14. उपरोक्त कारणों से, हमें इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं मिली और वे यहाँ खारिज किए जाते हैं। चूंकि महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु शामिल थे, दोनों पक्ष अपने-अपने खर्च वहन करेंगे।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

आयुष
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार
हिसार, हरियाणा